न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 17/471

नरेश चन्द्र व्यास आत्मज स्व0 श्री बद्री प्रसाद आयु 56 वर्ष ब्राह्मण निवासी खेडली पुरोहित कोटा ।

. ———अपीलान्ट

बनाम

1. सुनील पुत्र स्व0 श्री सतीश चन्द्र आयु 35 वर्ष निवासी खेडली फाटक कोटा ।
2. अनिल कुमार आत्मज स्व0 श्री सतीश चन्द्र आयु 30 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी खेडली फाटक कोटा ।
3. सरकार जरिये तहसीलदार, के0 पाटन जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री जुगल किशोर शर्मा, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री महेश योगी, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 15.11.2017

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2017 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 एवं 188 के अन्तर्गत ग्राम नयागॉव तहसील के0 पाटन जिला बून्दी की आराजी कुल 07 किता की 5.28 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी में वादीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 ने अपना 12/25 हिस्सा बताते हुए वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन किये जाने का निवेदन किया और प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया ।

3. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 16.06.2017 के द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार करते हुए पक्षकारान के मध्य उनके राजस्व रिकॉर्ड में अंकित अनुसार अच्छी में से अच्छी तथा बुरी में से बुरी के आधार पर विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित करने का आदेश पारित किया ।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव प्राथमिक डिक्री दिनांक 16.06.2017 से व्यथित होकर प्रतिवादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया ।

अपीलान्ट ने अपील मीमो के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की कोई जानकारी नहीं थी । उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 21.08.2017 को अपने वकील साहब से जानकारी करने पर हुई जिस पर उक्त निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गयी है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

6. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

7. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रस्तुत प्रकरण में बिना तनकीयात कायम किये ही उक्त निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित कर दी जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । प्रस्तुत प्रकरण में प्रतिवादी श्रीमती सावित्री देवी जो उक्त आराजी में एक खातेदार की हैसियत रखती है का निधन दिनाक 08.06.2015 को हो गया था जिसकी सूचना मय मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त भी मृतक के विरूद्ध डिक्री पारित कर दी गई जो प्रारम्भ से ही न्याय के प्राकृति सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । उक्त भूमि पक्षकारान की पैतृक भूमि है जिस पर बद्री प्रसाद जी दो पुत्रियॉ नन्द कंवर एवं पार्वती बाई का भी अधिकार है । प्रस्तुत वाद पत्र में उनके द्वारा सुनील एवं अनिल के पक्ष में हक त्याग का उल्लेख किया गया है किन्तु ऐसा कोई भी साक्ष्य दस्तावेजी प्रस्तुत नही किया है । रिलीज डीड (हक त्याग) कानूनी प्रावधानों के विपरीत लिखा गया है तथा रजिस्टर्ड भी नहीं करवाया गया है । हक त्याग प्रलेख का दस्तावेजी साक्ष्य दावे के साथ संलग्न नहीं है । वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जो रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया है उसमें अपने पिता का नाम बद्री लाल लिखा गया है जबकि प्रतिवादी अपीलान्ट के पिता का नाम बद्री प्रसाद है और पुश्तैनी जमीन होने के कारण आराजी की जमाबन्दी में भी बद्री प्रसाद नाम ही अंकित है । जबकि प्रत्यर्थी द्वारा नवीनतम नामान्तरकरण संख्या 632 में पिता का नाम बद्रीलाल अंकित किया हुआ है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 16.06.2017 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथन की पुष्टि में 2008 (2) आरआरटी पेज 850 का न्यायिक दृष्टांत पेश किया और अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया ।

8. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । प्रस्तुत प्रकरण में मृतक सावित्री के कायममुकामान को रिकॉर्ड पर ले लिया गया है जो अधीनस्थ न्यायालय की आदेश संचिका दिनांक 16.06.2017 से साबित है तथा उसके पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय में संशोधित टाईटल भी पेश हो चुका है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने सम्पूर्ण तथ्यों एवं बिन्दुओं पर विचारण कर निर्णय पारित किया है प्रस्तुत प्रकरण पक्षकारान के मध्य विभाजन से सम्बन्धित है जिसमें तनकीवार निर्णय पारित करने की आवश्यकता नहीं है । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है उसमें

किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 16.06.2017 बहाल रखा जावे।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण दर्शित किये हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

10. हमने प्रस्तुत प्रकरण में राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया जिससे साबित है कि वादग्रस्त आराजी पक्षकारान के संयुक्त खातेदारी की भूमि है जिसका अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित की है । चूँकि अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में मुख्य रूप से कथन किया है कि दौराने वाद प्रतिवादी सावित्री देवी की मृत्यु हो गयी थी और मृतक के विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया – हम अपीलान्ट के उक्त कथन से सहमत नहीं हैं क्योंकि प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में मृतक सावित्री देवी के कायममुकामान को रिकॉर्ड पर लिया गया है और संशोधित टाईटल भी पेश किया जा चुका है । इस प्रकार अपीलान्ट के द्वारा जो कथन किये हैं वह सही नहीं है । प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पोडेन्ट कम 1व 2 के पक्ष में जो रिलीज डीड निष्पादित की गई है वह रजिस्टर्ड दस्तावेज है जिसकी विश्वसनीयता पर संदेह नहीं किया जा सकता ।

11. प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा जो अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकारान थे उन्हें अपील में पक्षकार नहीं बनाया है जिसकी सत्यता अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की प्रति से साबित है । इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा जो अपील प्रस्तुत की गई है वह सारहीन होना प्रतीत होता है ।

12. हमने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव प्राथमिक डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि किया जाना प्रतीत नहीं होता है । हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री से सहमत हैं और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायहित में उचित नही समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 16.06.2017 बहाल रखा जाता है ।

14. निर्णय आज दिनांक 15.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास पंकज कुमार ओझा, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 17/471

नरेश चन्द्र व्यास आत्मज स्व0 श्री बद्री प्रसाद आयु 56 वर्ष ब्राह्मण निवासी खेडली पुरोहित कोटा ।

बनाम

—अपीलार्थी

1. सुनील पुत्र स्व0 श्री सतीश चन्द्र आयु 35 वर्ष निवासी खेडली फाटक कोटा ।
2. अनिल कुमार आत्मज स्व0 श्री सतीश चन्द्र आयु 30 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी खेडली फाटक कोटा ।
3. सरकार जरिये तहसीलदार, के0 पाटन जिला बून्दी ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश एवं डिक्री दिनांक 16.06.2017 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी ।

अन्तर्गत वाद संख्याः 05/दावा/2015

1. सुनील पुत्र स्व0 सतीशचन्द्र
2. अनिल पुत्र स्व0 सतीश चन्द्र
3. श्रीमती गायत्री पत्नी स्व0 सतीश चन्द्र
4. सुनीता पुत्री स्व0 सतीश चन्द्र
5. अनीता पुत्री स्व0 सतीशचन्द्र
6. नन्द कंवर पुत्री स्व0 सतीशचन्द्र
7. पार्वती पुत्री स्व0 बद्री लाल जाति ब्राह्मण निवासीगण घूम चक्कर, खेडली फाटक कोटा ।

बनाम

——वादी

1. नरेश चन्द पुत्र स्व0 बद्री लाल ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, के0 पाटन जिला बून्दी ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.06.2017 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात... कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।
2. यह अपील तारीख 15.11.2017 को बहाजरी अपीलार्थी की ओर से अभिभाषक श्री जुगल किशोर शर्मा एवं प्रत्यर्थी रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री महेश योगी अभिभाषक उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 16.06.2017 बहाल रखा जाता है ।
3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने हैं।

यह डिक्री आज तारीख 15.11.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा